08/01/2026

आज मद पत्रावली पेशी में ली गई। वकील वादी उप.। वाद वादी स्वीकार किया जाता है। विस्तृत डिक्री अलग से नियमानुसार पत्रावली शामिल किया गया। डिक्री जारी हो। नंबर से कम हो।

डिक्री मुताबिक जारी।

GCMS 2024/776

Signature Not Verified

Digitally signed by Bharat Jai Prakash Meena
Date: 2026.01.14 17:39:51 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

न्यायालय सहायक कलैक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ जिला श्री गंगानगर

पीठासीन अधिकारी: भरत जयप्रकाश मीना आई. ए. एस.

प्रकरण सं0 385/24 **दायर दिनांक 17–12–2024**

GCMS:- 2024/776

अणतुराम उर्फ अन्त राम पुत्र श्री उदाराम जाति ब्राहम्ण साकिन खारिया तहसील सूरतगढ जिला श्री गंगानगर राज0 आ0 नं0 8707 0683 9738

———– वादी

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व सूरतगढ

——— प्रतिवादी

वाद–पत्र अन्तर्गत धारा 88, 209, राज0 काश्त0 अधि0 1955

उपस्थित :–

1– कमलदत्त शर्मा, विशाल पंवार अभिभाषकगण वादी

2– पैरोकार राज तहसीलदार, सूरतगढ ।

उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ

–:– निर्णय –:– दिनांक :– 08·01·2026

पत्रावली पेश हुई । उभय पक्ष उपस्थित । बहस सुनी गई । वकील वादी ने वाद–पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि वादी के नाम से वाके रोही देईदासपुरा तहसील सूरतगढ के खाता नं0 3/4 के ख0 नं0 393 में 6.828 है0 , ख0न0 394 में 3.097है कुल 9.925 है0 बारानी दोयम खातेदारी भूमि दर्ज रिकार्ड पटवार वाके है। वादी के नाम जेरवाद रकबा में वादी का नाम अन्तराम पुत्र उदाराम दर्ज है । जबकि वादी अपना नाम अणतुराम उर्फ अन्तराम पुत्र उदाराम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाने का कानूनन अधिकारी है । वादी गरीब वृद्ध व साक्षऱ कास्तकार है। जो कानूनी की पैचिदगियो से अनभिग एवं अनजान है । जिसके कारण सरकार द्वारा दी जाने वाली सबसिडीयो का फायदा मात्र नाम के सही न होने के कारण वादी को वंचित रहना पड़ रहा है । सभी सरकारी दस्तावैजो में नाम की एक रूपता होनी उचित है वादी वर्तमान में के नाम से जाना जाता है वा इसी अनुसार जमाबन्दी में अंकित होने का हकदार है एवं घोषणा करवाने की पात्र है। अन्तराम पुत्र श्री उदाराम के नाम से वादी नही जानी जाता यह वादी का बचपन का नाम था बड़े होने पर वादी का नाम अणतुराम पुत्र श्री उदाराम सरकारी दस्तावैजी रिकार्ड में अंकित करवाया गया जिसमें राशन कार्ड , आधार कार्ड , मतदाता पहचान–पत्र , पेन कार्ड आदि दस्तावैजो में वादी का नाम अणतुराम पुत्र श्री उदाराम अंकित है। वादी के नाम से भूमि वाके रोही चक असरासर तहसील लूणकरणसर के खाता सं0 110/92 के खसरा नं0 113 में 20.080 है0 नहरी , बारानी भूमि में 1/35 हिस्सा भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है जिसमें वादी का सही नाम अणतुराम पुत्र श्री रूखमा पत्नी उदाराम दर्ज है । इसलिए वादी जैरवाद भूमि में अपना नाम संशोधन करवा कर अणतुराम उर्फ अन्तराम पुत्र [illegible] अंकित करने का निवेदन किया।

वाद–पत्र प्रस्तुत होने पर [illegible] प्रतिवादी को जरिये सम्मन तलब किया गया। पेरोकार राज उपस्थित हुये। साक्ष्य जिसमें [illegible] द्वारा शपथ–पत्र प्रस्तुत किये गये तथा दस्तावैजी साक्ष्य में प्रदीप कुमार [illegible] सरपंच ग्राम पंचायत सिंगरासर का प्रमाण–पत्र प्रस्तुत किया गया ।

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ (राज.)

Signature Not Verified
Digitally signed by Bharat Jai Prakash Meena
Date: 2026.01.14 17:39:51 IST
Reason: SelfAttested

वादी की बहस सुनी गई। वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावैजो के आधार पर वादी के निवेदन करते हुये बताया कि जैरवाद रकबा एवं सार्वजनिक दस्तावैजो में वादी के नाम में एकरूपता नही है । जमाबन्दी में वादी का नाम अन्तराम पुत्र श्री उदाराम दर्ज है । जबकि अन्य दस्तावैजो में अणतुराम पुत्र श्री उदाराम दर्ज है । इसलिए वादी जैरवाद रकबा में नाम दुरूस्ती करवाना चाहता है ।

पक्षकारान के तर्क सुने जाने के उपरान्त तर्को के परिपेक्ष्य में पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजो का अवलोकन किया व मनन किया गया वादी के नाम जमाबन्दी में अन्तराम पुत्र श्री अणतुराम दर्ज है । जबकि अन्य दस्तावैजो आधार कार्ड ,पेन कार्ड, मतदाता सूचि , राशन कार्ड ,सरपंच प्रमाण–पत्र में भी वादी का नाम अणतुराम पुत्र श्री उदाराम दर्ज है । जबकि जमाबन्दी और अन्य दस्तावैजो में वादी के नाम में भिन्नता होने के कारण वादी को सहायता मिलने से वंचित रहना पड़ता है। इसलिए वादी का नाम संशोधित किया जाना उचित समझते है ।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर वाद–पत्र स्वीकार किया जाकर **रोही देईदासपुरा तहसील सूरतगढ के खाता नं0 3/4 के ख0 नं0 393 में 6.828 है0 , ख0न0 394 में 3.097है0 कुल 9.925 है0 बारानी दोयम खातेदारी भूमि में वादी का अणतुराम उर्फ अन्तराम पुत्र श्री उदाराम राजस्व रिकार्ड दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है । जमाबन्दी में इसी के मुताबिक अंकन करने के आदेश दिये जाते है ।** पर्चा डिक्री जारी हो । पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 08.01.2026 को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ (राज.)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
(राजस्व) सूरतगढ

Signature Not Verified

Digitally signed by Bharat Jai Prakash Meena
Date: 2026.01.14 17:39:51 IST
Reason: SelfAttested

(आदेश 21 रूल 6,7 जाब्ता दीवानी)

<u>डिक्री बमुकद्दम इश्तदाई</u>

अज अदालत–सहायक कलक्टर एवं उप खण्ड अधिकारी, सूरतगढ जिला श्री गंगानगर

बइजलास – श्री भरत जयप्रकाश मीना आई. ए. एस.

अनवान :

अणतुराम उर्फ अन्त राम पुत्र श्री उदाराम जाति ब्राहम्ण साकिन खारिया तहसील सूरतगढ जिला श्री गंगानगर राज0 आ0 नं0 8707 0683 9738

———— वादी

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व सूरतगढ

——— प्रतिवादी

वाद अन्तर्गत धारा 88, 209 आर.टी.ए. मुकदमा नं0 385 वर्ष 2024 यह मुकदमा आज वास्ते इनफियाल कितई रूबरू हमारे व हाजिर अभिभाषकगण **कमलदत्त शर्मा, विशाल पंवार वादी** राज पैरोकार तहसीलदार सूरतगढ के पेश होने पर हुक्म दिया जाता है।

वाद वादी स्वीकार कर निम्न प्रकार से आदेशित कर डिक्री जारी करने के आदेश प्रदान किये जाते है :–

रोही देईदासपुरा तहसील सूरतगढ के खाता नं0 3/4 के ख0 नं0 393 में 6.828 है0 , ख0न0 394 में 3.097है0 कुल 9.925 है0 बारानी दोयम खातेदारी भूमि में वादी का अणतुराम उर्फ अन्तराम पुत्र श्री उदाराम राजस्व रिकार्ड दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है । जमाबन्दी में इसी के मुताबिक अंकन करने के आदेश दिये जाते है ।

नोज ...×.....मुबलिग ...×.....बाबत .....×......खर्चा इस मुकदमें में मय सूद बशहर ...×......फसदो की पालना......×........आज की तारीख से तारीख वसुलया वो तक की अदा करे ।

बसिन्त मेरे दस्तखत व मोहर अदालत के आज दिनांक 08.01.26 को जारी की गई ।

Signature Not Verified

Digitally signed by Bharat Jai Prakash Meena
Date: 2026.01.14 17:39:51 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ (राज.)

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ (श्रीगंगानगर)